[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार वित्त मंत्रालय आर्थिक कार्य विभाग

नई दिल्ली, दिनांकः 15 दिसंबर, 2022

अधिसूचना

सा.का.नि ---- (अ) ---- सरकारी प्रतिभृति अधिनियम, 2006 (2006 का 38) की धारा 3 के खंड (iii) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्रीय सरकार एतद्ववारा निम्नलिखित स्कीम बनाती है, नामत:

1.संक्षिप्त नाम और आरंभ.-

(i) इस स्कीम का नाम सॉवरेन स्वर्ण बांड स्कीम, 2022-23 होगा।

(ii) प्रत्येक ट्रांश के लिए भिन्न-भिन्न श्रृंखलाएं (श्रृंखला-III से आरंभ) होंगी जिन्हें निवेशकों को जारी बांडों में दर्शाया जाएगा।

(iii) यह सरकारी राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख से लागू होगी।

2. परिभाषा.-

इस स्कीम में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अभिप्रेत न हो, -

(क) "प्रपत्र" का अर्थ है, इस स्कीम के साथ संलग्न प्रपत्र;

(ख) "प्राप्तकर्ता कार्यालय" का अर्थ है अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक के कार्यालय या शाखा (इस अधिसूचना के **अनुबंध।** में यथा विनिर्दिष्ट),निर्दिष्ट डाकघर (इस अधिसूचना के अनुबंध-11 में यथा विनिर्दिष्ट), स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एसएचसीआईएल), प्राधिकृत स्टॉक एक्सचेंज और क्लियरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (सीसीआईएल)या आरबीआई द्वारा अनुमोदित कोई अन्य संस्था (इस अधिसूचना के अनुबंध-॥। में यथा विनिर्दिष्ट)।

(ग) "स्टॉक प्रमाणपत्र" का अर्थ है, सरकारी प्रतिभति अधिनियम, 2006 की धारा 3 के अनुसार भारत सरकार स्टॉक के रूप में निर्गमित

स्वर्ण बांड।

3.निवेश हेतु पात्रता.-

इस स्कीम के अंतर्गत, स्वर्ण बांडों को एक न्यास, एच.यू.एफ., धर्मार्थ संस्था, विश्वविद्यालय अथवा भारत में किसी निवासी व्यक्ति द्वारा, एक व्यक्ति की हैसियत से, ऐसे व्यक्ति के रूप में अथवा नाबालिंग की ओर से अथवा किसी अन्य व्यक्ति के साथ संयक्त रूप से धारित किया जा सकेगा।

स्पष्टीकरण- इस पैराग्राफ के प्रयोजनार्थ-

"व्यक्ति" का वहीं अर्थ होगा जो विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 2 के खंड (प) में यथा परिभाषित (i)

शब्द "भारत में निवासी व्यक्ति" का वही अर्थ होगा जो विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 2 के (ii)

खंड (फ) में यथा परिभाषित है।

"न्यास" का अर्थ होगा भारतीय न्यास अधिनियम,1882 के अनुसार गठित/बनाया गया न्यास अथवा कुछ समय के लिए लागू (iii) किसी केंद्रीय अथवा राज्य के विधान के उपबंधों के तहत गाँठत अथवा मान्यता प्राप्त सरकारी याँ निजी न्यास और लोक धार्मिक या धर्मार्थ प्रयोजन या दोनों प्रयोजनों हेत् गठित अभिव्यक्त या रचनात्मक न्यास भी, जिसमें मंदिर, मठ, वक्फ, चर्च, साइनागॉग, एजियरी अथवा सार्वजनिक धार्मिक पूजा की अन्य जगह अथवा धर्मादा अथवा धार्मिक या धर्मार्थ प्रयोजन अथवा दोनों के लिए गठित सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 या भारत में उस समय लागू किसी विधान के तहत पंजीकृत कोई अन्य धार्मिक या धर्मार्थ वृत्तिदान और सोसायटी ।

"धर्मार्थ संस्था" का अर्थ हैं भारतीय कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 25 अथवा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 8 के तहत (iv) पंजीकृत अथवा लागू विधान के अनुसार धर्मार्थ संस्था के रूप में पंजीकरण प्रमाणपत्र प्राप्त की हुई संस्था; या कोई भी संस्था

जिसने आय कर अधिनियम की धारा 80 छ के प्रयोजन से आयकर प्राधिकरण से प्रमाणपत्र प्राप्त कर लिया है।

'विश्वविद्यालय' का अर्थ है केंद्रीय, राज्य या क्षेत्रीय अधिनियम द्वारा स्थापित या सम्मिलित विश्वविद्यालय और इसमें उस (v) अधिनियम के प्रयोजन के लिए विश्वविद्यालय होने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, अधिनियम, 1956 की धारा 3 (1956 की 3) के तहत घोषित संस्था शामिल है।

4. मूल्यवर्ग, अभिदान सीमा और मूल्य निर्धारण.-

(i) बांड एक ग्राम स्वर्ण अथवा इस के गुणजों के मूल्य वर्ग में जारी किया जाएगा:
परंतु यह कि जारी बांड में अभिदान की न्यूनतम सीमा 1 ग्राम और अभिदान की अधिकतम सीमा प्रति वित्त प्रतिवर्ष व्यक्ति के लिए 4 किलोग्राम, हिंदू अविभाजित कुटुम्ब के लिए 4 किलोग्राम और न्यासों एवं सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित इसी तरह की संस्थाओं के लिए 20 किलो ग्राम होगी;
परंतु यह भी कि संयुक्त धारिता के मामले में, उपर्युक्त सीमाएं केवल प्रथम आवेदक पर ही लागू होंगी;
परंतु यह भी कि वार्षिक सीमा में सरकार द्वारा आरंभिक निर्गम के दौरान विभिन्न ट्रांश में अभिदत्त और द्वितीयक बाजार से खरीदे गए बांड शामिल होंगे; और

परंतु यह भी कि निवेश पर सीमा, बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थाओं द्वारा संपार्श्विक के रूप में धारिता में शामिल नहीं

होगी।

- (ii) स्वर्ण बांडों का अंकित मूल्य अभिदान अवधि से पिछले सप्ताह के अंतिम 3 कार्य दिवसों के लिए इंडिया बुलियन एंड ज्यूलर्स एसोसिएशन लिमिटेड द्वारा प्रकाशित 999 शुद्धता के स्वर्ण के बंद भाव के साधारण औसत के आधार पर भारतीय रुपए में होगा।
- (iii) ऑनलाइन आवेदन करने वाले और उसका भुगतान डिजीटल माध्यम से करने वाले निवेशकों के लिए स्वर्ण बांड का निर्गम मूल्य, अंकित मूल्य से 50 रुपये प्रति ग्राम कम होगा ।

5. स्वर्ण बांडों के अभिदान हेतु आवेदन करने की प्रक्रिया.-

(i) स्वर्ण बांडों के अभिदान हेतु आवेदन करने के इच्छुक प्रत्येक अभिदाता को **प्रपत्र 'क'** अथवा उसी के समान किसी अन्य प्रपत्र में किसी भी प्राप्तकर्ता कार्यालय को आवेदन करना होगा, जिसमें स्पष्ट रूप से स्वर्ण के ग्राम में वजन और आवेदक का पूरा नाम और पता देना होगा।

(ii) प्रत्येक आवेदन में ऐसे दस्तावेज और ब्यौरे होंगे जैसेकि आवेदन पत्र में दिए गए निर्देशों में विनिर्दिष्ट किए गए हैं।

- (iii) प्रत्येक आवेदन के साथ आयकर विभाग द्वारा निवेशक(कों) को जारी पैन नंबर (स्थायी खाता संख्या) संलग्न किया जाना अत्यावश्यक है।
- (iv) उप-पैराग्राफ (i) के अंतर्गत आवेदन प्राप्त होने पर, प्राप्तकर्ता कार्यालय, **प्रपत्र 'ख'** में पावती जारी करेगा, यदि आवेदन की सभी अपेक्षाएं परी की गई हों।

(v) अपूर्ण आवेदन को अस्वीकृत किया जा सकता है।

6. स्वर्ण बांडों के निर्गम की तिथि और स्वरूप.-

- (i) स्वर्ण बांड इस अधिसूचनाके पैरा 8 में निर्दिष्ट संबन्धित शृंखला के निर्गम तारीख पर **प्रपत्र 'ग'** में यथा विनिर्दिष्ट "स्टॉक" के रूप में निर्गमित किए जाएंगे।
- (ii) स्वर्ण बांड डी-मैट रूप में रूपांतरित किए जाने के लिए पात्र होंगे।

7. अभिदान की अवधि.-

इस स्कीम के अंतर्गत स्वर्ण बांड का अभिदान नीचे खंड 8 में यथा विनिर्दिष्ट के अनुसार खुला रहेगा ।बशर्ते केंद्रीय सरकार, पूर्व नोटिस देकर, उपर्युक्त विनिर्दिष्ट अवधि से पहले किसी भी समय स्कीम को बंद कर सकती है।

8. निर्गमन का कैलेंडर.-

क्र.सं.	श्रृंखला	अभिदान की अवधि	निर्गम की तारीख
1.	2022-23 श्रृंखला ॥।	दिसंबर 19-23, 2022	दिसंबर 27, 2022
2.	2022-23 श्रृंखला IV	मार्च 06-10, 2023	मार्च 14, 2023

9. ब्याज.-

- (i) स्वर्ण बांडों पर ब्याज इसके निर्गम की तारीख से प्रभारित होगा और 2.50 प्रतिशत प्रतिवर्ष की नियत ब्याज दर अंकित मूल्य पर लगायी जाएगी।
- (ii) यह ब्याज अर्ध-वार्षिक रूप में देय होगा तथा अंतिम ब्याज परिपक्वता होने पर मूल के साथ देय होगा।
- 10. प्राप्तकर्ता कार्यालय.- प्राप्तकर्ता कार्यालय, सीधे अथवा एजेंटों के जरिए बांडों के लिए आवेदन प्राप्त करने के लिए प्राधिकृत होंगे।
- 11. भुगतान के विकल्प.-

(i) स्वर्णबांड के लिए सभी भुगतान नकद में (अधिकतम 20,000 रुपए तक) अथवा डिमांड ड्राफ्ट अथवा चैक अथवा इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग के माध्यम से भारतीय रुपए में स्वीकृत किए जाएंगे।

(ii) जहां भुगतान चैक अथवा डिमांड ड्राफ्ट द्वारा किए जाते हों, उन्हें प्राप्तकर्ता कार्यालय के पक्ष में आहरित किया जाएगा।

12. मोचन.-

स्वर्ण बांड, इनके निर्गम की तारीख से आठ वर्ष की समाप्ति पर अदायगी योग्य होंगे:

(i) बशर्ते स्वर्ण् बांड् का परिपक्वता पूर्व मोचन, स्वर्ण् बांड् के निर्गुम की तारीख से पांचवें वर्ष की समाप्ति पर अनुमत किए जा

सकते हैं और ऐसे भुगतान ब्याज भुगतान की तारीख को देय होंगे।

(ii) परिपक्वता/परिपक्वता पूर्व मोचन पर, स्वर्ण बांडों का मोचन भारतीय रुपए में होगा और मोचन का मूल्य इंडिया बुलियन एंड ज्यूलर्स एसोसिएशन लिमिटेड द्वारा प्रकाशित पिछले 3 कार्य दिवसों की 999 शुद्धता के स्वर्ण के समापन मूल्य की साधारण औसत के आधार पर निर्धारित किया जाएगा।

(iii) भारतीय रिजर्व बैंक/निक्षेपागार निवेशक को, स्वर्ण बांड की परिपक्वता की तारीख के बारे में,परिपक्वता से एक माह पूर्व

स्चित करेगा।

13. सांविधिक तरलता अनुपात हेतु पात्रता.-

केवल ग्रहणाधिकार/दृष्टि बंधक/प्रतिज्ञा के माध्यम से बैंकों द्वारा प्राप्त किए गए बांड सांविधिक तरलता अनुपात हेतु पात्र होंगे।

14. बांडों के एवज में ऋण.-

(i) इस स्कीम के अंतर्गत स्वर्ण बांडों को किसी भी ऋण के संबंध में संपार्श्विक प्रतिभूति के रूप में इस्तेमाल किया जा सकेगा। ऐसे ऋण स्वर्ण बांड पर उचित ग्रहणाधिकार अंकन के द्वारा प्रदान किए जा सकते हैं।

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अधिदेशित किसी भी सामान्य स्वर्ण ऋण पर यथा प्रयोज्य ऋण – मूल्य अनुपात इस स्कीम के अंतर्गत

निर्गमित स्वर्ण बांड पर भी लागू होगा।

टिप्पणी: स्वर्ण बांडों के प्रति ऋण उधार देने वाले बैंक/संस्था के निर्णय के अध्याधीन होंगे और अधिकार के रूप में अनुमत नहीं किए जा सकते हैं।

15. कर उपाय.-

स्वर्ण बांड पर मिलने वाला ब्याज आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के उपबंधों के अनुसार कर योग्य होगा। इन बांडों के मोचन पर पूंजी प्रतिलाभ कर में व्यक्ति के लिए छूट है। बांडों के हस्तांतरण पर किसी व्यक्ति को प्राप्त दीर्घावधिक पूंजी प्रतिलाभ को सूचीयन लाभ प्रदान किया जाएगा।

16. नामांकन.-

(i) नामांकन और इसका निरसन क्रमश: प्रपत्र 'घ' और प्रपत्र 'ङ' में किया जाएगा, जो सरकारी प्रतिभूति अधिनियम, 2006 (2006 का 38) और तारीख 01 दिसंबर, 2007 के भारत के राजपत्र, भाग ॥ खंड 4, में प्रकाशित सरकारी प्रतिभूति विनियम, 2007 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(ii) एक व्यक्ति अनिवासी भारतीय अपने नाम पर प्रतिभूति का अंतरण दिवंगत निवेशक के नामिती होने के नाते करवा सकता है; परंतु यह कि उस अनिवासी भारतीय को परिपक्वता पूर्व मोचन अथवा परिपक्वता तक प्रतिभूति का धारक बने रहना आवश्यक

है;

परंतु यह भी कि निवेश पर ब्याज और परिपक्वता राशि आय स्वदेश भेजने योग्य नहीं होगी।

17. स्वर्ण बांडों का अंतरण.-

स्टॉक प्रमाणपत्र के रूप में स्वर्ण बांडों को प्रपत्र 'च' में निहित अंतरण लिखत के निष्पादन से हस्तांतरित किया जा सकेगा, जो सरकारी प्रतिभूति अधिनियम, 2006 (2006 का 38) और तारीख 01 दिसंबर, 2007 के भारत के राजपत्र, भाग III, खंड 4, में प्रकाशित सरकारी प्रतिभूति विनियम, 2007 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

18. स्वर्ण बांडों में कारोबार.-

स्वर्णबॉन्ड ट्रेडिंग के लिए पात्र होंगे।

19. अभिदान जुटाने के लिए कमीशन.-

इन बांडों के लिए अभिदान जुटाने के कमीशन का भुगतान, प्राप्तकर्ता कार्यालयों द्वारा प्राप्त किए गए आवेदनों पर, प्राप्त कुल अभिदान के प्रति सौ पर एक रुपए की दर से की जाएगी और प्राप्तकर्ता कार्यालय इस प्रकार प्राप्त कमीशन का कम से कम 50 प्रतिशत हिस्सा एजेंटों या उप-एजेंटों के साथ, उनके जरिए प्राप्त कारोबार के लिए हिस्सेदारी करेंगे।

20. 27 मार्च, 2018 की भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग) की अधिसूचना संख्या एफ संख्या.4(2)-डब्ल्यूएण्डएम/2018, में निर्दिष्ट अन्य सभी नियम एवं शर्तें इस स्कीम के अंतर्गत निर्गमित स्वर्ण बांड पर लागू होगी।

> भारत के राष्ट्रपति के आदेश से [एफ संख्या 4(6)-बी (डब्ल्यूएण्डएम)/ 2022]

> > त्राध्य व्यव्या (आशीष वच्छानी) अपर सचिव, भारत सरकार दिनांकः15 दिसंबर, 2022

[पैराग्राफ 5(i)देखें]



सॉवरेन स्वर्ण बांड 2022-23 के लिए आवेदन पत्र

(आवश्यकतानुसार √का निशान लगाएं)

बैंक/डाक घर का नाम												ब्रा ⁻	च क	ग न	ाम							
अंशदान का माध्यम	नक	द] चैव	ह ∕डीड	डी				इलेक	ट्रोनिक	अंतर	ण								
	आवेदनकि	या गया	सोना ग्र	ग्रा. में		Ī	ों चैक/	डिमांड	इ ड्राप	ट औ	र शाख	ा का न	Пम)		- 1	वैक/र्वि संख्या		ड्राफ्ट	-	दिनां		
(अंकों में) (शब्दों में)																						
राशि: रु. (अंकों में)	(থাৰ	दों में)																				
पैन संख्या यदि लागू हो																						
आवेदक की स्थिति:निवासी व्यवि आवेदक (कों) का ब्यौरा (यदि कोई हो			धर्मार्थ	संस्था	[],	विश्व	विद्याल	ाय, अ	न्य[], ਰ੍	ज्पया वि					आई	निवे	शक	आई	डी,		
पहला /एकल आवेदक का पूरा न	ाम																					
										जन्म	तिथि	(अवयर	(क)									
पासपोर्ट/आधार/पैन/टैन/वोटरआ	ाईडी सं. (उप	र्युक्त में	ंसे को	ई एक)																	
दूसरा का पूरा नाम		1	1															1		1	Т	
 पासपोर्ट/आधार/पैन/टैन/वोटरअ	 इंडीसं. (उपर्	 र्युक्त मे	<u> </u> से को	ई एक)																	+
अभिभावक (नाबालिग के मामले	में)						<u> </u>	l					L				<u>I</u>	<u>I</u>	<u>I</u>	1		

							,						_				_	_		_	_										_	
पासपोर्ट/	'आ'	धार/पै	ौन/टैन	ा/वोट	रआई	डी सं.	(उप	पर्युक्त मे	ों से क	ोई एव	ره)																					
					, efo eo e																											
पहला/प	 { db (લ બા	वदक	का/द	श्रामम	वक	क्रा पृ	पूरा पता	(દા ષા	रा नाम	नाल	ાલ)						1				1									1	
_																																
संपर्क व																																
	bl @	યારા T	1							1				a	<u> </u>	1	1									1						
फोन														फैक	.1																	
ईमेल																																
			_{ग नाम} का न													સ	व्राता स	: संख्या														
नामिती निक्षेप										और		किय				क खाता	ы т а		_{खाता} क ्र ने	के लि	m)											
निक्षेपाग लिखें)					ग ्न]ृलसी															क्लाइंट		इंडी लि	खें, सं	ीडी	एसए	न के	लिए १	16 अंव	कीय व	स् लाइंब	ट आ	ईडी
डीपी/व	लाइ	ंट अ	ाईडी																													
G, .																												1				
घोषण हिंदू आ निवेशक	∏: मैं विभ जों वे	ौं/हम ाजित ज्ञिला	कुटुम् ए दी ग	ा्ब के ई सूच् हस्त	घोषणा लिए इना के ताक्षर आवेदव	4 कि ब्यौरे	ा हूं/ लोग्रा तथा	'करतेहैं ाम, न्यार 1 उनके	एवं श प्त और अधिव	पथ ले १ इसी गरों ए	ता हूं/ तरह वं कर	की सं व्यों व हर	हं कि वि हिंस्थाएं को पढ़ स्ताक्षर	के लि और	ग वर्ष ए 20 समइ	2022) कि ले । लिया	-23 वे गेग्राम है (प्रा	रु दौर से आ ति संव	ान, सं धिक गग्न).	ॉवरेन ग नहीं है एजेंट/	गोल्ड , (ii) बैंक [:]	इस अ ने स्की	2022 गवेदन म के हस्ता अभिभ	न पर विशे	त्र में दे षताअ	रा/ह ी गड़् ों क	मारा व् जान ो समइ	कुल नि कारी झा दिय	नेवेश सही या है।	प्रति व है, औ	ग्यक् रि (ii	ते ए) मैं
तारीख	ा स	थान				,						'a''		,																		

<u>अंगूठे का निशान दो ग</u>	<u>गवाहों द्वारा अनुप्रमाणित हो</u>		
गवाह: प्रथम गवाह का नाम		द्वितीय गवाह	का नाम
पता		पता	
हस्ताक्षर		हस्ताक्षर	
हिंदू अविभाजित परिवार	(एच.यू.एफ.) घोषणा (अनिवार्य, अगर आवेदक एच.यू	,एफ. का कर्ता	है)
मैं, कारण मुझे एच.यू.एफ के नाम	, प्रथम आवेदक के समक्ष दिए गए पते क म के चलते सॉवरन स्वर्ण बाण्ड, 2022-23–में बेचने, पुष्टि कर	ा निवासी, सत्यनि ने, हस्तांतरित क	ष्ठापूर्वक यह घोषणा करता हूं कि मैं अविभाजित हिंदू परिवार का कर्ता हूं और इस रने और किसी अन्य तरह से लेनदेन करने कीपूरी शक्तियां हैं।
एच.यू.एफ. के लिए और उसव	क्री ओर से नमूना हसताक्षर (एच.यू.एफ. का नाम)		
स्थान			
दिनांक	(एच.यू.एफ. की मोहर सहित कर्ता के हस	ताक्षर)	

केवलकार्यालय उपयोग के लिए

आवेदन प्राप्ति की तारीख		सरकारी खाते में जमा करने की तारीख	नामांकन पंजीकरण की तारीख	एच.यू.एफ. घोषणा मिली (हां/नहीं)	प्राप्त घोषणा की कुल सीमा	कोई अन्य सूचना

प्रपत्र का भाग क

सॉवरेन स्वर्ण बांड, 2022-23 में निवेशों हेतु निवेशकों के लिए सूचना

मद	सॉवरेन स्वर्ण बांड, 2022-23
निवेशक की श्रेणी	ये बॉन्ड निवासी व्यक्तियों, अविभक्त हिंदू परिवारों, न्यासों,
	विश्वविद्यालयों और धर्मार्थ संस्थाओं को ही बेचे जाएंगे।
निवेश की सीमा	प्रति निवेशक, प्रति वर्ष, न्यूनतम अभिदान 1 ग्राम और अधिकतम
	निवेशव्यक्तिके लिए 4 किलोग्राम, हिंदू अविभाजित कुटुम्ब के लिए
	4 किलोग्राम और न्यासों एवं सरकार द्वारा समय-समय पर
	अधिसूचित इसी तरह की संस्थाओं के लिए 20 किलोग्रामहोगा।
बांडों के निर्गम की तारीख	बांड प्राप्ति की तारीख वही होगी जो धारिता प्रमाणपत्र पर अंकित
	है।
बांडों के प्रकार	डिमेट और वास्तविक (धारिता प्रमाणपत्र)
ब्याज का विकल्प	अर्धवार्षिक अंतराल ब्याज, आवेदन फॉर्म में उल्लिखित खाते
	अथवा डिमेट खाते से जुड़े खाते में सीधे जमा कराया जाएगा।
पश्च- परिपक्वता ब्याज	पश्च- परिपक्वता ब्याज देय नहीं है ।
बेंक खाता	निवेशकों के लिए यह अनिवार्य है कि ब्याज/परिपक्वता मूल्य का
	भुगतान सुसाध्य बनाने के लिए बैंक खाते का ब्यौरा दें।
नामांकन सुविधा	एकलधारक अथवा सभी संयुक्त धारक, नामांकिती के रूप में
	अधिकतम दो व्यक्तियों को नामित कर सकते हैं।
परिपक्वता अवधि	निर्गम की तारीख से 8 वर्ष ।
पूर्व- परिपक्वता उन्मोचन	निर्गमन के 5वें वर्ष से कूपन तारीखों पर।
विक्रेयता	सॉवरेन स्वर्ण बांड ट्रेडिंग के लिए पात्र होंगे।
इन बचत बांडों की जमानत पर बैंकों	उक्त प्रतिभूतियों के धारक अनुसूचित बैंकों में गिरवी रखने, रेहन
से ऋण	अथवा ग्रहणाधिकार करने के हकदार होंगे।
आवेदनप्रपत्र	सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की शाखाएं और नामोद्दिष्ट डाक
	घर, एसएचसीआईएल, सीसीआईएल, और प्राधिकृत स्टॉक
	एक्सचेंज।

निवेशक/आवेदकों के लिए अनुदेश

- (क) आवेदन सभी दृष्टियों से पूर्ण होना चाहिए।
- (ख) अधूरे आवेदनों को पूरे विवरण उपलब्ध होने तक नामंजूर किया जा सकता है या उनकी तिथि बढ़ायी जा सकती है।
- (ग) यदि मुख्तारनामा धारेक आवेदन पत्र जमा करता है तो मुख्तारनामे की अनुप्रमाणित प्रति के साथ उसकी मूल प्रति प्रस्तुत करें ताकि उसका सत्यापन किया जा सके।
- (घ) यदि आवेदन नाबालिग की ओर से किया जाता है तो कृपया विद्यालय या नगर निगम प्राधिकरणों द्वारा जारी मूल जन्म प्रमाणपत्र और उसकी अनुप्रमाणित प्रति जमा करें ताकि उसका सत्यापन किया जा सके।
- (ङ) कृपया ध्यान दें कि नामांकन सुविधा सॉवरेन स्वर्ण योजना (एसजीबी) के एक मात्र धारक या सभी संयुक्त धारकों (निवेशकों) के लिए उपलब्ध है।
- (च) यदि नामिती नाबालिंग है तो उसकी जन्मतिथि का उल्लेख करें और उसका अभिभावक नियुक्त किया जा सकता है।
- (छ) यदि निवेश नाबालिंग की ओर से किया जाए तो नामांकन सुविधा उपलब्ध नहीं होगी।
- (ज) इलेक्ट्रानिक रीति से भुगतान प्राप्त करने के लिए बैंक खाता का विवरण दें।
- (झ) कृपया बैंक खाते का बदलाव करने पर, यदि ऐसा है, उसे अविलंब अधिसूचित करें।
- (ञ) परिपक्वता पश्च ब्याज देय नहीं है।
- (ट) अपनी जन्मतिथि का उल्लेख करें।

निवेशक के अधिकार

- (क) बांड (धारक प्रमाणत्र) निवेशक को जारी किया जाएगा।
- (ख) बांड पर ब्याज की अंदायगी अर्ध-वार्षिक आधार पर की जाती है। ब्याज का शोधन आवेदन पत्र में दिए गए बैंक खाते या डीमेट से जुड़े खाते, जैसा भी मामला हो, के जरिए किया जाएगा।
- (ग) सॉवरेन स्वर्ण बांड 2022-23 में निवेश हेतु आवेदन पत्र वेबसाइट <u>www.rbi.org.in</u> पर उपलब्ध हैं।
- (घ) एकल धारक या सभी संयुक्त धारक, बांडों के अधिकारों के लिए एक या एक से अधिक व्यक्तियों को नामित कर सकते हैं।
- (ङ) नामांकन को निर्गम कार्यालय में पंजीकृत किया जाएगा तथा धारक को पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा।
- (च) नए सिरे से नामांकन को पंजीकृत कराकर इसे बदला जा सकता है।
- (छ) मौजूदा नामांकन को निवेश कार्यालय को अनुरोध करके निरस्त कराया जा सकता है।
- (ज) निवेशक प्रत्येक निर्मोचन के लिए आवेदन प्रस्तुत करने की तारीख से पांच स्पष्ट कार्य दिवसों के भीतर धनराशि की अदायगी प्राप्त करने के लिए पात्र है।

यदि बैंक उपर्युक्त का अनुपालन नहीं करता है तो आप भारतीय रिजर्व बैंक के निकटतम कार्यालय में निम्नलिखित को शिकायत कर सकते है:

क्षेत्रीय निदेशक,	
भारतीय रिजर्व बैंक,	
ग्राहक सेवा विभाग/	
बैंकिंग लोक पाल	
(पता)	

आप अपनी शिकायत निम्नलिखित को भी भेज सकते हैं:

मुख्य महाप्रबंधक आंतरिक ऋण प्रबंधन विभाग केंद्रीय कार्यालय फोर्ट, मुम्बई - 400 008, महाराष्ट्र

घोषणाः मैंने निवेशकों के लिए सूर्वना के ब्यौरे और निवेशकों के अधिकार और कर्तव्य पढ़ और समझ लिए हैं। एजेंट/बैंक ने स्कीम की विशेषताओं की जानकारी दे दी है।

आवेदक के हस्ताक्षर

[पैराग्राफ 5 (IV) देखें] प्राप्ति की रसीद

आवेदन सं
दिनांक/
श्री/श्रीमती/सुश्रीसे
श्री/श्रीमती/सुश्रीरुपये(मात्ररुपये (के अंकित मूल्य के आधार पर देय ब्याज पर, 8वर्ष की अविध हेतु सॉवरेन स्वर्ण बाण्ड 2022-23 ,श्रृंखला III/IV के क्रय के लिए रु) मात्ररुपये (की कुल राशि के ग्राम हेतु)बैंक और शाखा (के नाम आहरित नकद/डिमांड ड्राफ्ट/चेक संख्या /इलेक्ट्रानिक अंतरणदिनांक पाप्त हुए।
(प्राप्तकर्ता कार्यालय की मुहर/सील)
Form 'C' [See paragraph 6 (1)]
संस्थान जसते
भारत सरकार
Government of India
सॉवरेन स्वर्ण बांड2022-23
SOVEREIGN GOLD BOND 2022-23
Certificate Number-
मैं एतद द्वारा प्रमाणितकरता हूँ कि श्री/ श्रीमतीयूनिट सॉवरेन स्वर्ण बांड 2022-23(श्रृंखला-III/IV) के पंजीकृत धारक हैं।
सॉवरेन स्वर्ण बांड 2022-23, श्रृंखला III/IV के प्रारंभिक निवेश ₹पर प्रति वर्षप्रतिशत ब्याज दिया जाएगा, जिसका भुगतान छह माह के
अंतराल पर तारीख और तारीख को प्रतिवर्ष किया जाएगा। बांड को उन्मोचनीय होगा और समयपूर्व उन्मोचन का

विकल्प पांच वर्ष बाद ब्याज भुगतान की तारीखों को उपलब्ध होगा।

I hereby certify	y that, Smt. /Sl	nri					-
is the register	ed holder of			uni	ts of Sovereig	n Gold Bond 2022-23	(Series-
III/IV). The So	vereign Gold I	3ond 2022-23	, Series III/IV,	will bear inter	est at	percent per annum o	on initial
investment of	₹	-, payable at h	nalf yearly inter	rvals on		and	
every	year. The Bon	ds are redeem	able on	with th	e option for ea	rly redemption after f	ifth year
on interest pa	yment dates.						
आवेदन प्राप्तकर्ता काय	र्गालय						
Application Receiving	ng Office						
		यह प्रमाणपः	त्र प्रणाली आधारित	है अतः हस्ताक्षर अ	भावश्यक नहीं।		
	This is a	system genera	ated certificate	and does not	require any si	gnature.	
			*	त्र 'घ'			
			[पैरा 16 दे नामांक न	-			
			गामापग	1			
	क्तयों को नामित व	करते हैं जिनके पा	ास मेरी/हमारी मृ			के धारक का अधिकार होगा और ज	
नामिती का विव		3					
जारी करने के तारीख	राशि रुपए में	भुगतान की तारीख	नामिती का पूरा और पता	यदि अवयस्क है तो जन्म तिथि	धारक/कों के साथ रिश्ता	बैंक खाते का विवरण	
	>-		_				3 :
नामिता अवयस	रु हान पर भरा उपर्यक्त नामिर्त	जाएगा: जसा १व विकास अवयस्कत)। । के दौरान मेरी/	उपयुक्त ⁄हमारी मत्य होने	मुख्य नाामता इर की स्थिति में श्री	प्त तारीख को अवयस्क है, i/श्रीमती/कुमारी	म/हम को
सरकारी प्रतिभूति	ति/बांडों पर देय र	शितत्समय प्राप्त	करने के लिए नि	युक्त करता हूं/क	रते हैं।	, 711-101/ 3 7-1101	711
यदि नामांकन प का प्रति	।हले किए हुए न ।स्थापन है और उ	ामांकन का प्रति गापकी पुस्तक	।स्थापन है तो : य में ^ए	ह नामांकन मेरे/ह गंजीकृत है, जो इर	हमारे द्वारा किए ग स नामांकन के पं	ाए नामांकन तारीख जीकरण पर रद्द माना जाए	
स्थान:	(स्टॉक प्रमाणपत्र/	बीएलए धारक के	हस्ताक्षर)			
तारीख							
गवाहों के नाम, प	ाता और हस्ताक्षर						

2		पावती	
हम (न पंजीकृत नामांकन क कृपया नामांकन में बदलाव या	ामिती का नाम) के पक्ष में स्टें रने की अभिस्वीकृति देता हूं निरसन के संप्रेषण में उपर्युव	ॉक प्रमाणपत्र/बीएलए संख्या और नामांकन पंजीकरण प्त नामांकन का उल्लेख करें।	, ऋणहेतु और है।
दिनांक		प्राधिकृ	न्त अधिकारी
		प्रपत्र 'ङ ' (पैराग्राफ 16 देखें)	
	नामां	ांकन का निरस्तीकरण	
प्रमाणपत्र/बांड लेजर खाता स	iख्या और ·		का मेरे/हमारे द्वारा निम्नलिखित स्टॉव लय/शाखा द्वारा ा हूँ/ करते हैं।
		माण पत्र/ बांडों के विवरण	
निर्गम की तारीख	उधार का शीर्षक	स्टॉक प्रमाणपत्र/ बीएलएसंख्या	धनराशि (रुपए)
स्थानः तारीखः		(स्टॉक प्रमाणपत्र धारक(क बी एल ए धारक (कों) के ह	
गवाहों के नाम सहित हस्ताक्षर 12.			
		अभिस्वीकृति	
हम,	उधार	के लिए	स्टॉव
प्रमाणपत्र/बीएलएल संख्या के गए(नागि	लिए हमारी नामांकन पंजीक नेतियों के नाम) के पक्ष में नाम	रण संख्या मांकन को रद्द करने की अभिस्वीकृति व	स्टॉव तारीख द्वारा दर्ज किए करते हैं।
तारीखः		अधिकृत अधिका	री

प्रपत्र 'च' (पैराग्राफ 17देखें)

स्टॉक प्रमाणपत्रों का हस्तांतरण

मैं/हम*	(अंतरक) ए	तद्द्वारा अंति	र्गिखेत स्टॉक प्रग	माणपत्र संख्या .	र्क	· f	में,
के सरकारी ऋण में		. प्रतिशत, जो		रुपए बैठत	ं है,		रुपए
की धनराशि होने पर/रुपए	के लिए शेय	ार का भाग इ	स लिखत के मु	खपृष्ठ पर यथा वि	वेनिर्दिष्ट उस प	र अर्जित ब्र	याज के
साथ अपना/हमारा* हिस्सा या शेयर			(अंतरिती/यों),	उसके/उनके*	निष्पादनकर्ता	ओं, प्रशास	कों या
समनुदेशकों को सुपुर्द और अंतरित करताहूँ							
मुझे/हमें* हस्तांतरित किए गए आशय तक मु							
मैं/हम*							
मेरे/हमारे पंजीकृत शेयर धारक होने के कारण	_			क उपर्युक्त स्टे	क प्रमाणपत्र में	ारे∕हमारे* न	गम(मों)
पर नवीकरण कर दिया जाए /मेरे/हमारे*नाम	(मों) पर परि	वर्तित कर दिय	ग जाए।				
ூர்்⁄சப∗	(ഷ്മാക്ക	ਸ਼ਰਟਰਾਂ ਸਟ	.थनग्रेश क्रम्याः	हँ _। करते हैं कि	उपार्यक्त अंतरि	नीयों) के व	वंतंश में
@मैं/हम* उसे/उन्हें* एतद्दवारा हस्तांतरित किए गए स्टॉ	(जतारप्र) क के पंजीक	रतद्वारा वर त शेयर धारव	जनुराय करता इ होने के कारण	रू/ पेरेस है पिर . उसे/उन्हें* हस	उपपुष्त जतार नांतरित नहीं कि	ता(या) ये र उप गए आश	ाषप प 1य तक
उपर्युक्त स्टॉक प्रमाण पत्र मेरे/हमारे*नाम(मों)) पर नवीकृत	। कर दिया जा	ए।	,, - \ \ .		, , ,	
गवाह के रूप में, आज (दिन)		(माह)		टो इत्त	ਹ	കി ഒ	स्ताक्षर
किए/अंगूठा लगाया।	•••••	(٩١١٧)	••••••	41 (/ 0/	·	971 (Wildir.
	·······	अंतरक	के	हर	ताक्षर	पता	
**की उपस्थिति में उपयु	क्त नामतः						
अंतरक द्वारा हस्ताक्षर किए गए। ********************************		<u>਼ਾਂਤਨਿਤੀ</u>				हस्ताक्षर	
**की उपस्थिति में उपर	 तिन नापनः	अतारता		Υγ		रुस्तादार	
	390 1140						
·							
*:जो लागू नहीं हो,उसे काट दें।	 				_} ,		
@:इस पैराग्राफ का प्रयोग केवल तभी किया					हा।		
**:गवाह के हस्ताक्षर, व्यवसाय और पता। गव	ग्रह अंतरक	आर अतारता	स अलग हाना च	IIIहए।			
अंतरितः							
स्टॉक प्रमाणपत्र जारी किया गया संख्या पुबंधक भारतीय रिजर्व बैंक	••••••	વાતાત્ર		···			
4888 HISUIG ISQU QQ							

अनुबंध । (दिसंबर 15, 2022 की अधिसूचना के पैरा 2(बी) का संदर्भ)

	राष्ट्रीयकृत बैंक		अनुसूचित निजी बैंक
1	भारतीय स्टेट बैंक	1	एक्सिस बैंक लिमिटेड
2	बैंक ऑफ़ बडौदा	2	कैथोलिक सीरियन बैंक लिमिटेड
3	बैंक ऑफ इंडिया	3	सिटी यूनियन बैंक लिमिटेड
3	बँक ऑफ महाराष्ट्र	4	डेवलपमेंट क्रेडिट बैंक लिमिटेड
5	केनरा बैंक	5	धनलक्ष्मी बैंक लिमिटेड
6	सेंट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया	6	फेडरल बैंक लिमिटेड
7	इंडियन बैंक	7	एचडीएफसी बैंक लिमिटेड
8	इंडियन ओवरसीज बैंक	8	आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड
9	पंजाब नेशनल बैंक	9	इंडसइंड बैंक लिमिटेड
10	पंजाब एंड सिंध बैंक	10	जम्मू-कश्मीर बैंक लिमिटेड
11	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	11	कर्नाटक बैंक लिमिटेड
12	यूको बैंक	12	करूर वैश्य बैंक लिमिटेड
		13	कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड
		14	नैनीताल बैंक लिमिटेड
		15	आरबीएल बैंक लिमिटेड
		16	साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड
		17	तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक लिमिटेड
		18	यस बैंक लिमिटेड
		19	बंधन बैंक
		20	आईडीएफसी फ़र्स्ट बैंक लिमिटेड
		21	आईडीबीआई बैंक लिमिटेड

	अनुसूचित वि	वेदेशी बैंक	
1	ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड बैंकिंग ग्रुप लिमिटेड	24	वूरी बैंक
2	बैंक आफ बहरीन और कुवैत बीएससी	25	केईबी हाना बैंक
3	अरब बांग्लादेश बैंक लिमिटेड (एबी बैंक)	26	इंडस्ट्रियल बैंक ऑफ कोरिया
4	सोनाली बैंक	27	कूकमिन बैंक
5	बैंक ऑफ नोवा स्कोटिया	28	बैंक आफ सीलोन
6	इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल बैंक आफ चाइना	29	क्रेडिट सुइस एजी
7	बीएनपी पारिबास	30	सीटीबीसी बैंक
8	क्रेडिट एग्रीकोल कॉरपोरेट एंड इंवेस्टमेंट बैंक	31	क्रुंग थाई बैंक
9	सोसाइटी जेनरल	32	अबू धाबी कमर्शियल बैंक लिमिटेड
10	ड्यूश बैंक	33	मशरेक बैंक
11	हांगकांग एंड शंघाई बैंकिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड	34	फ़र्स्ट अबू धाबी बैंक
12	पीटी बैंक मेबैंक इंडोनेशिया टीबीके	35	अमीरात बैंक
13	मिजुहो कारपोरेट बैंक लिमिटेड	36	बार्कलेस बैंक
14	सुमितोमो मित्सुई बैंकिंग कॉरपोरेशन	37	स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक
15	एमयूएफजी बैंक	38	नैटवेस्ट मार्केट पीएलसी
16	राबोबैंक	39	अमेरिकन एक्सप्रेस बैंकिंग कॉरपोरेशन
17	दोहा बैंक	40	बैंक ऑफ अमेरिका
18	कतर नेशनल बैंक	41	सिटीबैंक एनए
19	जेएससी - वीटीबी बैंक	42	जे पी मॉर्गन चेस बैंक एनए
20	सबेर बैंक	43	स्टेट बैंक आफ मॉरीशस
21	यूनाइटेड ओवरसीज बैंक लिमिटेड	44	डीबीएस बैंक लिमिटेड
22	फस्टरैंड बैंक लिमिटेड	45	बैंक ऑफ चाइना
23	शिनहनबैंक		

अनुबंध॥

(अधिसूचना दिनांक दिसंबर 15, 2022 के पैरा 2 (बी) का संदर्भ)

भारतीय रिज़र्व बैंक की प्रेस विज्ञप्ति दिनांक दिसंबर 15,2022 में www.rbi.org.in (वेबसाइट) पर डाकघरों की सूची प्रदान की गई है

अनुबंध ॥।

(अधिसूचना दिनांक दिसंबर 15, 2022 के पैरा 2 (बी) का संदर्भ)

सॉवरेन स्वर्ण बांड 2022-23 के लिए प्राप्तकर्ता कार्यालयों के रूप में प्राधिकृत मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों और अन्य संस्थानों की सूची

- 1. नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनएसई)
- बाम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड (बीएसई)
- 3. भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड (सीसीआईएल)
- 4. स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ़ इंडिया लिमिटेड (एस एच सी आई एल)

[To be published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub – Section (i)]

Government of India Ministry of Finance Department of Economic Affairs

New Delhi, dated the December 15, 2022

Notification

G.S.R.---- (E) — In exercise of the powers conferred by clause (iii) of Section 3 of the Government Securities Act, 2006 (38 of 2006), the Central Government hereby makes the following Scheme, namely:

1. Short title and commencement-

- (i) This scheme may be called the Sovereign Gold Bond Scheme 2022-23
- (ii) There will be a distinct Series (starting from Series III) which will be indicated on the Bond issued to the investor.
- (iii) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. Definition-

In this Scheme, unless the context otherwise requires:

- a) "Form" means a form appended to this Scheme.
- b) "Receiving office" means the offices or branches of Nationalised Banks, Scheduled Private Banks, Scheduled Foreign Banks (as specified in **Annexure I** to this Notification), designated Post Offices (as specified in **Annexure II** to this Notification), Stock Holding Corporation of India Ltd. (SHCIL), the authorised stock exchanges, and Clearing Corporation of India Limited (CCIL) or any other entity as may be approved by RBI as specified in **Annexure III** to this Notification.
- c) "Stock Certificate" means the Gold Bond issued in the form of Government of India Stock in accordance with Section 3 of the Government Securities Act, 2006.

3. Eligibility for Investment-

The Gold Bonds issued under this Scheme may be held by a Trust, HUFs, Charitable Institution, University or by a person resident in India, being an individual, in his capacity as such individual, or on behalf of minor child, or jointly with any other individual.

Explanation— For the purposes of this paragraph:

- (i) "person" shall have the same meaning as defined in clause (u) of Section 2 of the Foreign Exchange Management Act, 1999 (42 of 1999).
- (ii) the expression "person resident in India" shall have the same meaning as defined in clause (v) of Section 2 of the Foreign Exchange Management Act, 1999 (42 of 1999).
- (iii) "Trust" means a trust constituted/formed as per the Indian Trusts Act, 1882, or a public or private trust constituted or recognized under the provisions of any Central or State law for the time being in force and also an express or constructive trust constituted for either a public religious or charitable purpose or both which includes a temple, a math, a wakf, a church, a synagogue, agiary or any other place of public religious worship,

or a dharmada or any other religious or charitable endowment and also a society, formed either for a religious or charitable purpose or for both, registered under the Societies Registration Act, 1860 or under any other law for the time being in force in India.

- (iv) "Charitable Institution" means a company registered under Section 25 of the Indian Companies Act, 1956 or under Section 8 of the Companies Act, 2013; or an institution, which has obtained a Certificate of Registration as a charitable institution in accordance with a law in force; or Any institution which has obtained a certificate from an Income Tax Authority for the purposes of Section 80G of the Income Tax Act, 1961.
- (v) "University" means a university established or incorporated by a Central, State or Provincial Act, and includes an institution declared under Section 3 of the University Grants Commission Act, 1956 (3 of 1956), to be a university for the purposes of the Act.

4. Denomination, Subscription limit and Pricing-

(i) The bonds will be issued in denominations of one gram of gold or multiples thereof.

Provided that the minimum limit of subscription for the Bonds issued shall be of one gram and maximum limit of subscription per fiscal year shall be of four kg for individuals, four kg for Hindu Undivided Family (HUF) and 20 kg for trusts and similar entities notified by the Government from time to time;

Provided that in case of joint holding, the above limits shall be applicable to the first applicant only;

Provided that the annual ceiling will include bonds subscribed under different tranches during initial issuance by Government and those purchased from the secondary market; and

Provided further that the ceiling on investment will not include the holdings as collateral by banks and other Financial Institutions.

- (ii) The nominal value of Gold Bonds shall be in Indian Rupees fixed on the basis of simple average of closing price of gold of 999 purity, published by the India Bullion and Jewellers Association Limited, for the last 3 working days of the week preceding the subscription period.
- (iii) The issue price of the Gold Bonds will be less than the nominal value by ₹50 per gram to those investors applying online and making the payment against the application through digital mode.

5. Procedure for making application for subscription to Gold Bonds-

- (i) Any person who is desirous of subscribing to the Gold Bonds shall apply to any Receiving office in **Form 'A'** or in any other form as near as thereto, clearly stating the grams of gold, full name and address of the applicant/s.
- (ii) Every application shall contain such documents and particulars as specified in the instructions contained in the Application Form.
- (iii) Every application must be accompanied by the 'PAN Number' issued by the Income Tax Department to Individuals and other entities.
- (iv) On receipt of an application under sub paragraph (i), the Receiving office shall issue an acknowledgment receipt in **Form 'B'** if all requirements of the application are fulfilled.
- (v) An incomplete application is liable to be rejected.

6. Date and form of issue of Gold Bonds-

- (i) The Gold Bonds shall be issued in the form of a Stock Certificate, as specified in **Form 'C'** on the date of issue of respective tranches as mentioned in the para 8 of this Notification.
- (ii) The Gold Bonds shall be eligible to be converted into Demat form.

7. Period of subscription-

The subscription to the Gold Bonds under this Scheme shall remain open as specified in Section 8 below.

Provided that the Central Government may, with prior notice, close the Scheme at any time before the period specified above.

8. Calendar of Issuance-

S. No.	Tranche	Period of Subscription	Date of Issue
1.	2022-23 Series III	December 19- December 23, 2022	December 27, 2022
2.	2022-23 Series IV	March 06 –March 10, 2023	March 14, 2023

9. Interest-

- (i) The interest on the Gold Bonds shall commence from the date of issue and shall be paid at a fixed rate of 2.50 percent per annum on the nominal value of the bond.
- (ii) The interest shall be payable in half-yearly rests and the last interest shall be payable along with the principal on maturity.

10. Receiving Offices-

The Receiving Offices shall be authorised to receive applications for the bonds either directly or through agents.

11. Payment Options-

- (i) All payments for Gold Bonds shall be accepted in Indian Rupees through cash (up to a maximum of ₹20,000/-) or demand draft, or cheque, or electronic banking.
- (ii) Where payment is made through cheque or demand draft, the same shall be drawn in favour of the Receiving Office.

12. Redemption-

- (i) The Gold Bonds shall be repayable on the expiration of eight years from the date of the issue of the Bonds: Provided that premature redemption of Gold Bonds may be permitted after fifth year from the date of issue of Bonds and such repayments will be made on the date on which interest is payable,
- (ii) On maturity/premature redemption, the Gold Bonds shall be redeemed in Indian Rupees and the redemption price shall be based on simple average of closing price of gold of 999 purity of previous three working days, published by the India Bullion and Jewellers Association Limited.
- (iii) The RBI / depository shall inform the investor one month in advance, about the date of maturity of the Bond.

13. Eligibility for Statutory Liquidity Ratio-

Bonds acquired by the banks through the process of invoking lien/hypothecation/pledge alone, shall be counted towards Statutory Liquidity Ratio.

14. Loan against Bonds-

- (i) The Gold Bonds issued under this Scheme may be used as collateral security for availing any loan. Such loans could be granted by marking lien on Gold Bonds appropriately.
- (ii) The Loan to Value ratio as applicable to any ordinary gold loan mandated by the Reserve Bank of India shall also apply to the Bonds issued under this Scheme.

Note: The loan against Gold Bonds would be subject to decision of the bank/financing agency, and cannot be inferred as a matter of right.

15. Tax Treatment-

The interest received on the Gold Bond shall be taxable as per the provisions of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961). The capital gains tax arising on redemption of these bonds to an individual is exempted. The indexation benefits will be provided for the long-term capital gains arising to any person on transfer of bond.

16. Nomination-

- (i) Nomination of and its cancellation shall be made in **Form 'D'** and **Form 'E'**, respectively, in accordance with the provisions of the Government Securities Act, 2006 (38 of 2006) and the Government Securities Regulations, 2007, published in part III, Section 4 of the Gazette of India dated the 1st December 2007.
- (ii) An individual Non-Resident Indian may get the security transferred in his name on account of he being a nominee of a deceased investor;

Provided that the Non-Resident investor shall need to hold the security till premature redemption or till maturity;

Provided further that the interest and maturity proceeds of the investment shall not be repatriable.

17. Transfer of Gold Bonds-

The Gold Bonds issued in the form of Stock Certificate are transferable by execution of an Instrument of transfer as in **Form 'F'**, in accordance with the provisions of the Government Securities Act, 2006 (38 of 2006) and the Government Securities Regulations, 2007, published in part III, Section 4 of the Gazette of India dated the 1st December 2007.

18. Trading of Gold Bonds-

The Gold Bonds shall be eligible for trading.

19. Commission for mobilizing subscription-

The commission for mobilising subscription towards these bonds shall be paid at the rate of Rupee One per Hundred Rupees of the total subscription received by the Receiving Offices and Receiving Offices shall share at least 50% of the commission so received with the agents or sub agents for the business procured through them.

20. All other terms and conditions specified in the notification of Government of India, Ministry of Finance (Department of Economic Affairs) vide number F. No.4 (2) W&M/2018, dated the 27th March, 2018 shall apply to the Gold Bond issued under this scheme.

By Order of the President of India [F. No. 4(6)-B(W&M)/2022]

(Ashish Vachhani)

Additional Secretary to the Government of India

Dated: December 15, 2022



APPLICATION FORM FOR SOVEREIGN GOLD BOND 2022-23

(Put ✓ wherever required)

Grad (In figures) (In words) Amount: Rs. (in figures) PAN number of the first/so Applicant status: Resident I pplicant(s) Detail (ANY FIRST/ SOLE APPLICA	ole applica	ant (mandatory)	(in words	(Nar	e / De	f the E	3ank 8	ft Draw	ch)	T		e / De	emand o.		Date	ed	
(In figures) (In words) mount: Rs. (in figures) PAN number of the first/ so pplicant status: Resident I pplicant(s) Detail (ole applica	ant (mandatory)	(in words	(Nar	me of	f the E	3ank 8	ጵ Brand	ch)	C					Date	ed	
mount: Rs. (in figures) PAN number of the first/ so pplicant status: Resident I pplicant(s) Detail (ant (mandatory))	s)								ditino	5.				
PAN number of the first/so pplicant status: Resident I pplicant(s) Detail (ant (mandatory))		stitutio	on[]	, Univ	ersity									
oplicant status: Resident I		[], Trusts [],		ole Ins	stitutio	on[]	, Univ	ersity									
		1. 1.44							[], other	s [], PI	ease	specif	y:				
ANY FIRST/ SOLE APPLICA	(in block	k létters)							E	XISTING	RBI I	NVES ⁻	TOR ID	,			
	ANT'S NAN	ME IN FULL,													+		\sqcup
									Data	of Birth	(mino	r)				_	
									Date	oi biitii	(111110	')					
assport/Aadhar / PAN /TAN / V ECONDAPPLICANT'S NAMI		-	above)														
				1	11								I				
Passport/Aadhar / PAN /TAN /															+	+	\Box

Guardian (in case of minor)

																									T		
																											İ
Passp	ort/A	adhar	/ PAN	I /TAN	/ Vot	er ID	No. (aı	ny on	e of th	e abo	ve)																
FIRST/	SOLI	EAPP	LICAI	NT'S /	' GUA	RDIA	AN'S A	ADDF	RESS II	N FUI	LL (D	O NC	T FIL	L IN I	NAME	E AGA	AIN)										
Phon Email	е	DETAI	LS												Fax		-										
BANK	PART	ΓICUL	ARS I	FOR F	PAYM	ENT	OF IN	ITERE	ST W	ARRA	NT/	REDE	MPTI	ON A	Accou	nt Ho	older	Nam	e								
	k Name Account No.							Branch Name /Address																			
IFSC C	ode																										
Accou	nt Ty _l	pe	SI	В Асс	ount		Curre	ent A	ccoun	t																	
Nomi	ninee details- Nomination Form (as applicable) to be filled and attached																										

Depository participant details (to avail of option to hold the bond in demat form)

Depository	Nam	e	N	SDL	CDSI	_ (Fc	or NSDL,	enter 8 d	digit dp I	D follow	red by 8	digit clie	nt ID, Fo	r CDSL e	enter 16	digit clie	nt ID)
DP/ Client ID																	

Declaration: I/We hereby declare and undertake that (i) my/our aggregate investment in Sovereign Gold Bonds 2022-23 does not exceed 4kg for individual and HUF & 20 Kg for trust and similar entities during the financial year 2022-23 and (ii) the Information furnished in this application form is correct, (iii) I have read and understood the details of information for the investors as well as rights and duties of investors (copy attached). The agent/bank has explained the features of the scheme.

	Signature	Signature	Signature
	1stApplicant	2ndApplicant	Guardian
Date	Place		

Date, Bank Stamp & Signature of the authorized official of the bank/Post Office	
In case of thumb impression, attestation by two witnesses	
Witnesses:	
Name of 1st Witness Name of 2nd Witness	
Address_	
Signature	
H.U.F. declaration (mandatory, if applicant is Karta of HUF)	
The structure (manuacory, in applicant is realted in 1101)	
l,,residing at the address given against First Applicant,	do colomby affirm that I am the Karta of the Hindu Undivided
Family and as such have full powers to sell, endorse, transferor otherwise deal in the Sovereig	
Specimen signature for and on behalf of the HUF (Name of the HUF)	
Place	
Date	(Signature of the Karta with seal of HUF)

Date of receipt of Application (DD/MM/YYYY)	BLA No.	CIF No.	Date of Credit to Govt.A/C (DD/MM/YYYY)	Nomination registered on (DD/MM/YYYY)	HUF declara- tion obtained (Y/N)	Total limit declaration obtained (Y/N)	· ·	Any other information

Part of Form A

Information for Investors of Sovereign Gold Bond 2022-23

Item	Sovereign Gold Bond 2022-23
Category of Investor	The Bonds will be restricted for sale to resident Indian entities
	including individuals, HUFs, Trusts, charitable institutions and
	Universities.
2) Limit of investment	Minimum subscription of One Gram and Maximum investment
	of Four kg for individuals and HUF and 20kg for trust and
	similar entities per investor per annum.
3) Date of Issue of	Date of receipt of bond will be the same which is inscribed on
bonds	the holding certificate.
4) Forms of Bonds	Demat and Physical (Certificate of Holding).
5) Interest Option	Half yearly intervals. Interest will be credited directly into the
	account mentioned in the application form or in the Account
	linked with the Demat a/c.
6) Post Maturity Interest	Post Maturity Interest is not payable.
7) Bank account	It is mandatory for the investors to provide bank account
	details to facilitate payment of interest /maturity value.
8) Nomination	The sole Holder or all the joint holders may nominate a
Facility	maximum of two persons as nominee.
9) Maturity period	Eight years from the date of issue.
10) Premature	On the coupon dates after fifth year from the date of issue of
redemption	Bond
11) Tradability	Bonds will be tradable.
12) Loans from banks against the	The holders of the said securities shall be entitled to create
security of these bonds	pledge, hypothecation or lien in favour of scheduled banks.
13) Application forms	Branches of all the scheduled commercial banks, designated
	Post offices, Stock Holding Corporation of India Ltd. (SHIL), the
	authorised stock exchanges, and Clearing Corporation of India
	Limited (CCIL) or any other entity as may be approved by RBI.

Instructions for Investors/ Applicants

- a) Application should be complete in all respects.
- b) Incomplete applications may be rejected or delayed till full particulars are available.
- c) In case the application is submitted by a Power of Attorney (POA) holder, please submit original POA for verification, along with an attested copy.
- d) In case the application is on behalf of a minor, please submit the original birth certificate from the School or Municipal Authorities for verification, together with an attested copy.
- e) Please note that nomination facility is available to a Sole Holder or all the joint holders (investors) of an SGB.
- f) In case nominee is a minor, please indicate the date of birth of the minor and a guardian can be appointed.
- q) Nomination facility is not available in case the investment is on behalf of minor.
- h) Please provide bank account details for receiving payment through Electronic mode.
- i) Please notify the change of bank account, if any, immediately.
- j) Post maturity interest is not payable.
- k) Indicate your date of birth.

Rights of the Investors

- a) Holding Certificate will be issued to the investor.
- b) The interest on the bond is paid half-yearly. The servicing of the Interest will be done through the bank account provided in the Application form or through the A/c linked to the demat, as the case may be.
- c) Application forms for investments under Sovereign Gold Bonds 2022-23 are available on the website at www.rbi.org.in.
- d) A sole holder or all the joint holders may nominate maximum of two nominees to the rights of the bonds.
- e) The nomination will be registered at the Office of Issue and a Certificate of Registration will be issued to the holder.
- f) The nomination can be altered by registering a fresh nomination.
- g) The existing nomination can be cancelled by a request to the Office of Issue.
- h) The investor is entitled to receive repayment amount within five clear working days from the date of tender of application for early redemption.
 - In case the bank does not comply with the above, you may lodge a complaint in writing in to the nearest office of Reserve Bank of India as under:

THE REGIONAL DIRECTOR,
RESERVE BANK OF INDIA,
CONSUMER EDUCATION AND PROTECTION DEPARTMENT/
BANKING OMBUDSMAN
(LOCATION)

YOU MAY ALSO ADDRESS YOUR COMPLAINT TO:

THE CHIEF GENERAL MANAGER INTERNAL DEBT MANAGEMENT DEPARTMENT CENTRAL OFFICE FORT, MUMBAI-400 001, MAHARASHTRA

Disclaimer: - I have read and understood the details of information for the investors as well as rights and duties of investors. The agent/bank has explained the features of the scheme to me.

Signature of the applicant

Form 'B'

[See Paragraph 5(4)]

Acknowledgement Receipt

			Applic	ation No	
Date/	./				
Received from	Mr/Mrs/Ms				Cash/
Demand Draft	/Cheque No./Elec	tronic Trans	sfer/		dated
/	drawn	on	(Bank	and	branch)
			for	grams	totaling an
amount of ₹	(Rupees	•••••			only) for the
purchase of Sov	vereign Gold Bond	2022-23 – Se	eries III/IV for a	period of 8 y	ears, interest
payable on	basis of	the nom	ninal value	of `	
(Rupees			only	<i>'</i>).	

(Stamp / Seal of the Receiving Office)

Form 'C' [See paragraph 6 (1)]



भारत सरकार

Government of India

सॉवरेन स्वर्ण बांड 2022-23

SOVEREIGN GOLD BOND 2022-23

Certificate Number-

Columente Humber
मैं एतद द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि श्री/ श्रीमती यूनिट सॉवरेन स्वर्ण बांड 2022-23(श्रृंखला III/IV) के पंजीकृत धारक हैं। सॉवरेन स्वर्ण बांड 2022-23 (श्रृंखलाIII/IV) के प्रारंभिक निवेश ₹पर प्रति वर्षप्रतिशत ब्याज दिया जाएगा, जिसका भुगतान छह माह के अंतराल पर तारीख और तारीख को प्रतिवर्ष किया जाएगा। बांड को उन्मोचनीय होगा और समयपूर्व उन्मोचन का विकल्प पांच वर्ष बाद ब्याज भुगतान की तारीखों को उपलब्ध होगा।
I hereby certify that, Smt. /Shri
आवेदन प्राप्तकर्ता कार्यालय Application Receiving Office

यह प्रमाणपत्र प्रणाली आधारित है अतः हस्ताक्षर आवश्यक नहीं।

This is a system generated certificate and does not require any signature.

Form 'D'

[See paragraph 16]

NOMINATION

Stock c followin securitie	ertificate , ng person, es/Bonds a	/BLA No 's who shall c and receive pa	for the loar on my/our death ayment of the am specified below:	n have the	hereby right to th	nominate the e Government
PARTICULARS OF NOMINEE:						
Date	Amount	Date of	Full name with	Date	Relation-	Particulars
of issue	₹	repayment	expanded initials and address of	of birth in case of	Ship to holder/s	Of bank account
nomine Governi	e above is ment secu	s a minor on to receive rities/Bond in	nee is minor: As this date, I/We a the amount for the event of my	appoint S the time v/our dea	hri/Smt./Ku being due	ımari to the above
is in s register	ubstitutio ed on yo	n of the no	itution of the oromination dated		made b	y me/us and
Place:			(Signature(s)	of the St	tock Certific	cate holder(s)
Date:			/BLA holder(s))		

		nowledgment	
nominees) for the Stonomination registrati	ock Certificate/BLA No on no. isPl	omination in favour of for the loan ease quote the above non or cancellation of nominat	n and the nination registration no.
Date:		Authorised	Official
	[See	Form 'E' e paragraph 16]	
	CANCELLAT	ION OF NOMINATION	
dated Ledger Account No.,	made by me/us in and registered by the vide Registration No	address) do here by corespect of the following e Public Debt Office/bran	Stock certificate/Bond sch of the Agency bank
Date of Issue	Nomenclature of The loan	Stock Certificate/ BLA No.	Amount(₹)
 Place:	(Signature	e(s) of the Stock Certificat	e holder(s)
Date:	/BLA hold		
	and address of witness	. , ,	
_			
2			

Signature with name and address of witnesses:

<u>Acknowledgment</u>

	mination in favour of (Name of Nominees)for the loannoted vide our
Date:Authorised Official	
Form '	F' [See paragraph 17]
TRANSFER	OF STOCK CERTIFICATES
the inscribed stock certificate number amounting to ` being the amount /a this instrument together with the accrue	hereby assign and transfer my/our* interest or share in
-	request that on my/our*being registered as the holder/s pove stock certificate to the extent it has been transferred ne (s)/converted in my/our*name(s).
registered as the holder/s of the stock	by request that on the above transferee(s) being contemporary hereby transferred to him/them*, the aforesaid stock been transferred to him/them*may be renewed in
As witness, our hand the day of .	two thousand and
Signed by the above-named transferor In the presence of **	Signature of transferor Address:
Signed by the above-named transferee In the presence**	Signature of transferee
**: Signature, occupation and address of v Transfer or and transferee. <u>Transferred:</u>	
India,	dated Manager, Reserve Bank of

(Refer to para 2(b) of notification dated December 15, 2022)

List of Scheduled Commercial Banks

	UBLIC SECTOR BANKS PRIVATE BANKS		ATE BANKS
1	State Bank of India	1	Axis Bank Ltd.
2	Bank of Baroda	2	Catholic Syrian Bank Ltd.
3	Bank of India	3	City Union Bank Ltd.
4	Bank of Maharashtra	4	Development Credit Bank Ltd.
5	Canara Bank	5	Dhanlaxmi Bank Ltd.
6	Central Bank of India	6	Federal Bank Ltd.
7	Indian Bank	7	HDFC Bank Ltd.
8	Indian Overseas Bank	8	ICICI Bank Ltd.
9	Punjab National Bank	9	IndusInd Bank Ltd.
10	Punjab & Sind Bank	10	Jammu & Kashmir Bank Ltd.
11	Union Bank of India	11	Karnataka Bank Ltd.
12	UCO Bank	12	Karur Vysya Bank Ltd.
		13	Kotak Mahindra Bank Ltd.
		14	Nainital Bank Ltd.
		15	RBL Bank Ltd.
		16	South Indian Bank Ltd.
		17	Tamilnad Mercantile Bank Ltd.
		18	Yes Bank Ltd.
		19	Bandhan Bank
		20	IDFC First Bank Ltd
		21	IDBI Bank Ltd.

FOREI	GN BANKS		
1.	Australia and New Zealand Banking Group Ltd.	24.	Woori Bank
2.	Bank of Bahrain & Kuwait BSC	25.	KEB Hana Bank
3.	AB Bank Ltd.	26.	Industrial Bank of Korea
4.	Sonali Bank Ltd.	27.	Kookmin Bank
5.	Bank of Nova Scotia	28.	Bank of Ceylon
6.	Industrial & Commercial Bank of China Ltd.	29.	Credit Suisse A.G
7.	BNP Paribas	30.	CTBC Bank Co., Ltd.
8.	Credit Agricole Corporate & Investment Bank	31.	Krung Thai Bank Public Co. Ltd.
9.	Societe Generale	32.	Abu Dhabi Commercial Bank Ltd.
10.	Deutsche Bank	33.	Mashreq Bank PSC
11.	HSBC Ltd	34.	First Abu Dhabi Bank PJSC
12.	PT Bank Maybank Indonesia TBK	35.	Emirates Bank NBD
13.	Mizuho Bank Ltd.	36.	Barclays Bank Plc.
14.	Sumitomo Mitsui Banking Corporation	37.	Standard Chartered Bank
15.	MUFG Bank, Ltd.	38.	NatWest Markets Plc
16.	Cooperatieve Rabobank U.A.	39.	American Express Banking Corporation
17.	Doha Bank	40.	Bank of America
18.	Qatar National Bank	41.	Citibank N.A.
19.	JSC VTB Bank	42.	J.P. Morgan Chase Bank N.A.
20.	Sberbank	43.	SBM Bank (India) Limited
21.	United Overseas Bank Ltd	44.	DBS Bank India Limited
22.	FirstRand Bank Ltd	45.	Bank of China Ltd.
23.	Shinhan Bank		

Annexure-II

(Refer to para 2(b) of Notification dated December 15, 2022)

List of Post Offices is provided in the Press Release of Reserve Bank of India dated December 15, 2022 at www.rbi.org.in

Annexure III

(Refer to para 2(b) of Notification dated December 15, 2022)

List of recognised Stock Exchanges and other entities authorised as Receiving offices for the Sovereign Gold Bonds 2022-23

- 1. National Stock Exchange of India Ltd. (NSE)
- 2. Bombay Stock Exchange Ltd. (BSE)
- 3. Stock Holding Corporation of India Ltd. (SHCIL)
- 4. Clearing Corporation of India Limited (CCIL)